रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO [illegible]004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 221] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 1993/चैत्र 26, 1915
No. 221] NEW DELHI FRIDAY, APRIL 16, 1993/CHAITRA 26, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1993

का. आ. 245(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 9 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नूतन आदेश का. आ. 45(अ) दिनांक 23-1-84 को अधिक्रान्त करते हुए एतद्द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ 5 में यथा विनिर्दिष्ट कीमतों को, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक वर्ग – II के सूत्रयोगों की जब बाल्क के अन्तर्गत बेची

जाए जिसकी प्रबलता और आकार क्रमशः उसके स्तम्भ (3) और (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है, अधिकतम कीमत, जिसमें उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हों, को छोड़कर निर्धारित करती है :

सारणी

क्रम सं.	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक का आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
1	आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट टिकियां	5 मिग्रा./टिकिया	100 की बोतल	5.84
2	आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट टिकियां	10 मिग्रा/टिकिया	100 की बोतल	9.36

[सं. 8 (2)/92-पी आई (2)]

विनोद वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (2) तारीख 28-10-1992 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पट्रो रसायन विभाग) की सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 793(अ) दिनांक 28-10-1992 द्वारा प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Chemicals & Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 16th April, 1993

S.O. 245 (E):—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby makes the following amendments in the order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petro-Chemicals) No. S.O. 45(E) dated 23rd January, 1984 :

In the table below the said Order serial numbers 1 and 2 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	Isosorbide Dinitrate Tablet	5mg/Tablet	100's Bottle	5.84
2.	Isosorbide Dinitrate Tablet	10mg/Tablet	100's Bottle	9.36"

[No. 8(2)/92-PJ(II)]

VINOD VAISH, Jt. Secy.

NOTE : The principal order was published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3 (ii) dated 28-10-92 vide Government notification (Ministry of Chemicals and Fertilizers) No. 793 (E) dated 28-10-1992.

(1) Government Notification No. S.O. 270 (E) dated 19-04-1991.

(2) Government Notification No. S.O. 353 (E) dated 23-05-1991.

(3) Government Notification No. S.O. 688 (E) dated 11-10-1991.

(4) Government Notification No. S.O. 117 (E) dated 06-02-1992.

(5) Government Notification No. S.O. 454 (E) dated 19-06-1992.

(6) Government Notification No. S.O. 677 (E) dated 14-09-1992.

published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993